

कार्यालय: सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आदेश संख्या/सम्बद्धता/ 17659-66 /2016-17 दिनांक 07-नवम्बर 2016

कार्यालय ज्ञाप

ज्ञासनादेश संख्या 2723/15-11-2016 शिक्षा अनुभाग-11 लखनऊ दिनांक 17.10.2016 द्वारा नियोजित संस्थान बाबा राम प्यारे सिंह शिक्षण संस्थान प्लाट नं 1045, 1047 मोहब्बतपुर शहर जनपथ-आजमगढ़ को शासन द्वारा सम्मान दिया राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दो पर्वत वीठी०८०० पाठ्यक्रम के संबंधन हेतु दी गयी मान्यता दियोग्यक निर्णय आदेश में अकित शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिक्रियाओं के अधीन गोपित कर्तव्य 2016-17 से एक घूटनि (50सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जाती है-

- (1) संस्थान द्वारा लगातार प्राप्त एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर संशोधित भानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के गहरे में बन्धक रखना होगा।
- (2) जिन भानकों एवं शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद भान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्थान द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्थान पर एन०सी०टी०८०० तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए जाने वाले नियम लागू होंगे।
- (3) नेशनल विलिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अनिश्चयन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा भानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दी गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी आर्ज, परीक्षा की समय-सारिणी तथा पठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।
- (5) सम्बद्धता निर्णय होने के दो भान की अधियि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के भानक के अनुसार विधिवत् घयनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन संचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद से प्राप्त किया जाना घयनित किया जाना होगा। संकाय सदस्यों के बायोडाटा एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं को सुनिश्चित किया जाना होगा। संकाय सदस्यों के बायोडाटा एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं को अनुमोदन हेतु संचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। वह अभिलेख स्थायी होगे, जिन्हें संचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।
- (6) संस्थान द्वारा अपनी बेबसाइट राज्य गोपित अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद की बेबसाइट के साथ हाइपरलिंक की जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख बेब-साइट पर किया जायेगा।
- (7) प्रश्नगत संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 28.07.2016 से 29.07.2016 के कार्यवृत्ति में की गयी संस्कृति के आधार पर वीठी०८०० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु गोपित संबद्धता 2016-17 से एक घूटनि (50सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है। उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन०सी०टी०८०० के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)

संचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी

उ०प्र०, इलाहाबाद।

प०स०/सम्बद्धता/ 17659-66 /2016-17 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. संचिव, बेसिक शिक्षा, उ०प्र०, शासन सचिवनक।
2. विशेष संचिव, बेसिक शिक्षा, उ०प्र०, शासन, शिक्षा अनुभाग-11 लखनऊ।
3. विदेशक, राज्य गोपित अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद उ०प्र०, सचिवनक।
4. शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ०प्र०, सचिवनक।
5. श्रीग्रीष्म निदेशक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर श्रीग्रीष्म समिति, घरुर्य तल, जीवन निवि-11, एल०आर्ह०सी०५ विलिंग, भवानी सिंह भारी, अमेड़कर रार्किस, जयपुर-302005(राजस्थान)।
6. प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान-आजमगढ़।
7. प्रशिक्षण / संचिव, बाबा राम प्यारे सिंह शिक्षण संस्थान प्लाट नं 1045, 1047 मोहब्बतपुर शहर जनपथ-आजमगढ़।
8. गार्ड काइल।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)

संचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी

उ०प्र०, इलाहाबाद।